भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2378

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण 1948 (शक

औद्यौगिक दुर्घटनाओं से बचाव

†2378. **श्री ए.राजा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 30 जून, 2026 तक कारखानों में हुई दुर्घटनाओं, मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या सहित,राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों और ऐसी घटनाओं की सर्वाधिक संख्या वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कारखाने के सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए निरीक्षणों, दर्ज किए गए मामलों और वसूली गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित कामगारों के परिवारों को प्रदान किए गए मुआवजे और उनकी सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने कारखानों सहित किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं को विनियमित करने तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीओएसएच) द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 [जो अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल है] के तहत पंजीकृत कारखानों के मामलों में राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से कामगारों की दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और चोटों के डेटा एकत्र किए जाते हैं। दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में व्यक्तियों का ऊंचाई से गिरना, आग, विस्फोट, यांत्रिक ऊर्जा से चलने वाली मशीनें, बिजली के झटके, गिरती हुई वस्तुओं से टकराना आदि सम्मिलित हैं। राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान क्रमशः 64176, 67674 और 74426 कारखानों का निरीक्षण किया गया था।इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष 2022 से 2024 के दौरान कारखानों में हुई घातक और गैर-घातक चोटों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक-I और संलग्नक-II में है। वर्ष 2022 से 2024 के दौरान पंजीकृत कारखानों में चलाए गए अभियोजन, दोषसिद्धि और अधिरोपित शास्ति का ब्यौरा संलग्नक-III में है।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भी अधिनियमित की है जो 21.11.2025 से प्रभावी हो गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, सीओएसएस 2020 के अनुसार मुआवजे से संबंधित मामलों पर राज्य / संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

***** *****

संलग्नक- I

औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में श्री ए. राजा द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पंजीकृत कारखानों में घातक चोटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (2022-2024)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	2022	2023	2024
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	76	71	59
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	8	9	8
5	बिहार	4	4	12
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	78	74	119
8	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	#	#	#
9	दिल्ली	36	6	21
10	गोवा	5	6	5
11	गुजरात	240	221	188
12	हरियाणा	22	19	37
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	3	3	#
15	झारखंड	23	26	21
16	कर्नाटक	43	53	60
17	केरल	9	22	20
18	लक्षद्वीप	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	36	33	35
20	महाराष्ट्र	178	190	157
21	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
22	मेघालय	3	2	शून्य
23	मिजोरम	#	शून्य	#
24	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
25	ओडिशा	54	54	47
26	पुदुचेरी	5	4	3
27	पंजाब	9	37	#
28	राजस्थान	32	25	46
29	सिक्किम	*	*	*
30	तमिलनाडु	117	184	153
31	तेलंगाना	60	65	71
32	त्रिपुरा	2	1	1
33	उत्तर प्रदेश।	#	#	#
34	उत्तराखंड	19	18	9
35	पश्चिम बंगाल	#	#	59
कुल		1062	1127	1131

डेटा का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से एकत्रित किया गया डेटा।

ध्यान दें: (i) *: इन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

(ii) #: राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा डेटा की जानकारी नहीं दी गई है।

संलग्नक- II

औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में श्री ए.राजा द्वारा दिनांक 03.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पंजीकृत कारखानों में गैर-घातक चोटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (2022 - 2024)

क्र.सं.	**राज्य /संघ राज्यक्षेत्र**	**2022**	**2023**	**2024**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	39	30	18
2	आंध्र प्रदेश	95	75	88
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	38	22	26
5	बिहार	14	24	25
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ	77	71	80
8	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	#	#	#
9	दिल्ली	47	9	23
10	गोवा	33	41	24
11	गुजरात	653	497	574
12	हरियाणा	48	40	56
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	20	67	#
15	झारखंड	41	41	38
16	कर्नाटक	254	264	338
17	केरल	67	62	68
18	लक्षद्वीप	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	269	205	224
20	महाराष्ट्र	819	818	881
21	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
22	मेघालय	3	1	5
23	मिजोरम	#	शून्य	#
24	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
25	ओडिशा	47	97	101
26	पुदुचेरी	22	34	15
27	पंजाब	23	32	#
28	राजस्थान	91	142	146
29	सिक्किम	*	*	*
30	तमिलनाडु	205	243	317
31	तेलंगाना	51	118	#
32	त्रिपुरा	1	शून्य	1
33	उत्तर प्रदेश।	#	#	#
34	उत्तराखंड	49	48	48
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#
कुल		**3006**	**2981**	**3096**

डेटा का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से इकट्ठा किया गया डेटा।

ध्यान दें: (i) *: इन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में कोई रजिस्टर्ड फ़ैक्टरी नहीं है।

(ii) #: राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा डेटा की जानकारी नहीं दी गई है।

संलग्नक III

औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के संबंध में श्री ए. राजा द्वारा दिनांक 03.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	2022					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	जुर्माना लगाया गया	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान लॉन्च किया गया	वर्ष के दौरान तय किया गया		कारावास	कुल जुर्माना लगाया गया
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	1925	269	168	137	#	2526000
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	22	26	#	#	#	#
5	बिहार	273	34	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	457	238	238	144	#	19198000
8	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	220	30	49	49	#	614000
10	गोवा	22	2	2	1	#	50000
11	गुजरात	14619	2806	3890	1497	#	22444000
12	हरियाणा	6814	4787	3256	1946	#	10924200
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	41	13	#	#	#	#
15	झारखंड	412	33	2	#	#	#
16	कर्नाटक	613	194	155	86	10	3311100
17	केरल	216	22	45	37	#	811000
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2267	118	44	#	#	3069000
21	महाराष्ट्र	2546	481	457	377	#	14526000
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
26	ओडिशा	2740	80	4	#	#	#
27	पुदुचेरी	6	1	1	#	#	90000
28	पंजाब	100	12	10	9	#	172500
29	राजस्थान	325	20	13	4	#	15000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	7906	2688	1872	1858	#	23124250
32	तेलंगाना	2704	182	111	62	#	2605000
33	त्रिपुरा	8	4	4	2	#	90000
34	उत्तर प्रदेश।	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	13	19	19	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**44249**	**12059**	**10340**	**6209**	**10**	**103570050**

डेटा का स्रोत: डीजीओएसएच द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से इकट्ठा किया गया डेटा।

*** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कोई भी रजिस्टर्ड फ़ैक्टरी नहीं है।**

राज्यों द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया / शून्य डेटा।

**** कारखाना अधिनियम, 1948 उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल है।**

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	2023					
		अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	जुर्माना लगाया गया	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान लॉन्च किया गया	वर्ष के दौरान तय किया गया		कारावास	कुल जुर्माना लगाया गया
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	#	#	#	#	#	#
2	आंध्र प्रदेश	2019	279	183	185	#	2858500
3	अरुणाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
4	असम	122	26	#	#	#	#
5	बिहार	307	14	#	#	#	#
6	चंडीगढ़	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	457	205	142	110	#	19158000
8	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	201	23	53	53	#	648000
10	गोवा	17	4	6	4	#	71000
11	गुजरात	13535	3744	3516	2381	#	27046000
12	हरियाणा	7443	5122	2556	1426	#	9431500
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	54	3	3	3	#	2500
15	झारखंड	427	69	01	#	#	#
16	कर्नाटक	652	175	187	93	5	2928000
17	केरल	195	59	36	24	1	575996
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2386	88	54	#	#	6045000
21	महाराष्ट्र	2310	401	271	187	#	13448000
22	मणिपुर	#	#	#	#	#	#
23	मेघालय	#	#	#	#	#	#
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	#	#	#	#	#	#
26	ओडिशा	2796	73	4	#	#	#
27	पुदुचेरी	5	6	11	#	#	692000
28	पंजाब	102	17	6	1	#	90000
29	राजस्थान	264	44	28	18	#	674000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	8770	2218	1886	1882	#	35982750
32	तेलंगाना	2463	228	130	118	9	2944500
33	त्रिपुरा	8	5	4	2	#	12000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	14	19	18	#	#	#
36	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	#	#
कुल		**44547**	**12822**	**9095**	**6487**	**15**	**122607746**

डेटा स्रोत: उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों से एकत्र किए गए डेटा।

*** राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कोई भी पंजीकृत कारखाना नहीं है।. # राज्यों द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया / शून्य डेटा.**

**** कारखाना अधिनियम, 1948 उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल है।**

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के तहत अभियोजन और दोषसिद्धि

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	2024					
		नहीं। अभियोजन की संख्या			दोषसिद्धि की संख्या	जुर्माना लगाया गया	
		पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान लॉन्च किया गया	वर्ष के दौरान तय किया गया		कारावास	कुल जुर्माना लगाया गया
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1759	342	228	165	0	5256000
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	#	12	#	#	#	#
5	बिहार	321	16	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	518	373	118	117	0	9713500
8	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	#	#	#	#	#	#
9	दिल्ली	171	41	55	55	0	208000
10	गोवा	20	2	1	1	0	100000
11	गुजरात	13250	3993	3231	2988	#	26289721
12	हरियाणा	8550	4019	3005	1608	0	10268500
13	हिमाचल प्रदेश	#	#	#	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	#	#	#	#	#	#
15	झारखंड	513	15	0	0	0	0
16	कर्नाटक	638	178	138	97	0	2685003
17	केरल	213	25	45	26	0	887000
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*
20	मध्य प्रदेश	2420	145	60	0	0	3774000
21	महाराष्ट्र	2753	772	400	239	0	10996000
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	#	#	#	#	#	#
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	2865	83	2	0	0	0
27	पुदुचेरी	0	4	4	0	0	706050
28	पंजाब	#	#	#	#	#	#
29	राजस्थान	295	23	32	13	0	857000
30	सिक्किम	*	*	*	*	*	*
31	तमिलनाडु	9102	4335	2566	2565	0	5027940
32	तेलंगाना	2880	453	310	69	0	2205000
33	त्रिपुरा	10	9	5	5	0	38000
34	उत्तर प्रदेश	#	#	#	#	#	#
35	उत्तराखंड	15	5	16	0	0	100000
36	पश्चिम बंगाल	402	50	16	16	0	940000
कुल		**46695**	**14895**	**10232**	**7964**	**0**	**80051714**

डेटा स्रोत: उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों से एकत्र किए गए डेटा।

*** राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में कोई भी पंजीकृत कारखाना नहीं है।.**

राज्यों द्वारा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया / शून्य डेटा.

**** कारखाना अधिनियम, 1948 उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 के अंतर्गत शामिल है।**